एक समिति का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर 1992 में प्रस्तुत कर दी थी । समिति ने ऋण, रुग्णता ऋण की समस्याओं और अन्य संबद्ध पहलुओं पर विचार किया । समिति ने रुग्ण एककों के पुनःजीवन के लिए कई सिफारिशें की हैं जिनमें रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संशोधित परिभाषा, बैंकों द्वारा अलग प्रकोष्ठों का सृजन, राज्य सरकार न्यायाधिकरण की स्थापना, शिकायतों को दूर करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र का मंच के रूप मे इस्तेमाल, राज्य स्तरीय संस्थागत समितियों को पुनःजीवित करना इत्यादि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कुछ सिफारिशों संबंधी निर्णय की पहले ही घोषणा कर दी है जैसे : रुग्ण एककों की संशोधित परिभाषा करना और रुग्ण एककों की पुनः स्थापना पर ली जाने वाली ब्याज की कम दर ।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि लघु उद्योग क्षेत्र कार्यशील पूंजी के ऋण के जरिये अपने वार्षिक उत्पादन का 20% प्राप्त करेंगे ।

(v) लघु उद्योग बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कार्यक्रम का एक अंग है ।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

7033. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक ईकाईयों में कार्यरत कामगारों के वेतनमान समान नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र की इन औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान अनेक वर्षों से संशोधित नहीं किये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो विगत में इनके वेतनमानों में कब संशोधित किया गया था ;

(ङ) क्या अब उन कर्मचारियों ने अपने वेतनमानों में संशोधन किये जाने की मांग सरकार के समक्ष रखी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक एककों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों में पूर्ण समानता नहीं है ;

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के मुख्य उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों में वर्ष 1987-88 के दौरान अंतिम बार संशोधन किया गया था । वेतनमानों में संशोधन मंजूरी वार्ता के चौथे दौर के लिये वर्ष 1987 में जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया गया था ।

(ङ) और (च) कर्मचारियों ने यह मांग की है कि मंजूरी वार्ता के पांचवें दौर के अन्तर्गत उनके वेतनमानों में संशोधन किया जाए जिसके लिए दिशा निर्देश पहले ही जारी किये जा चुके हैं ।

Seminar on PSUs by scope

7034. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state.

(a) whether a seminar was organised by the Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) at New Delhi, recently.

(b) if"so, the details of the discussions held in the seminar and the outcome thereof;

(c) whether there is an urgent aeed to make Public Sector Undertakings more competitive; and